



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 2081 / अका. / सम्बद्धता / 2016

रायपुर, दिनांक : 26 / 08 / 2016

॥ आदेश ॥

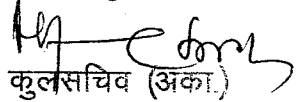
विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.07.2016 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2016 के अनुमोदनानुसार दिशा लॉ कालेज, बलौदाबाजार मार्ग, मंदिर हसौद, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2016-17 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B. A. L.L.B. III Year	120	2016-17
2.	L.L.B. III Year	60	

शर्त :-

01. महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक 32/393/आउशि/अशै.प्र./2016 दिनांक 26.02.2016 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों/विषयों की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
02. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
06. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
07. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति पर नियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति, आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण करें।
08. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

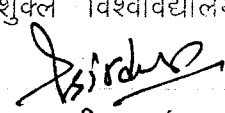

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 2082 / अका. / सम्बद्धता / 2016

रायपुर, दिनांक : 26 / 08 / 2016

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता / अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें संबद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।

- ① पर्याप्त मध्यम स्तर पर मंजूरी है।
- ② परिनिष्पत्ति 28 में प्राप्ति है।
- ③ जाइकेरी को कुछ दिनांक आना आवश्यक है।
- ④ B.C. को दो दिनांक आने होते हैं उसे पूरा दिनांक आना आवश्यक है।

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर :

डॉ० अरुण कुमार : अधिष्ठाता/विधि विभाग

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम - पता :

डॉ० अरुण कुमार : अधिष्ठाता/विधि विभाग

डॉ० विजिता शर्मा : अधिष्ठाता/विधि विभाग

विषय / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम - पता :

दिनांक 28/11/2016

प्रति,

कुलसचिव,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)